"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30 5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014—श्रावण 3, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मंटू ठाकुर पति स्व. नारायण सिंह ठाकुर, निवासी कुशालपुर, पियूश नगर रायपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे श्रीमती पद्‌मावती ठाकुर के नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती मंटू ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती मंटू ठाकुर पति स्व. नारायण सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
पद्‌मावती ठाकुर द्वारा-गुलाब सिंह ठाकुर लक्ष्मी नगर (नहर के पास) पचपेड़ी नाका रायपुर (छ.ग.)	श्रीमती मंटू ठाकुर पति-स्व. नारायण सिंह ठाकुर निवासी-रविभवन, पियूश नगर, मलसाय तालाब के पास कुशालपुर रायपुर (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीप्रकाश निगम पिता स्व. सुखू निगम, उम्र 45 वर्ष, निवासी 78/5 मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी कक्षा ग्यारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम श्रीप्रकाश आ. स्व. सुखू दर्ज है एवं शेष सभी अंकसूची एवं मेरे बैंक पास बुक में मेरा नाम श्रीप्रकाश निगम आ. सुखू निगम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "निगम' जोड़कर अपना नया नाम श्रीप्रकाश निगम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे श्रीप्रकाश निगम आ. स्व. सुखू निगम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया,नाम**
श्रीप्रकाश पिता-स्व. सुखू निगम निवासी-78/5, मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.	श्रीप्रकाश निगम पिता-स्व. सुखू निगम निवासी-78/5, मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ललित कुमार गुहे पिता स्व. एम. आर. गुहे, उम्र 40 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 2/डी, सड़क नं. 11, सेक्टर-1, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी कक्षा ग्यारहवी की अंकसूची में मेरा नाम ललित कुमार दर्ज है एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम ललित कुमार दर्ज है जबकि मेरे शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम ललित कुमार गुहे दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम 'गुहे' जोड़कर अपना नया नाम ललित कुमार गुहे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ललित कुमार गुहे पिता स्व. एम. आर. गुहे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ललित कुमार पिता-स्व. एम. आर. गुहे निवासी-क्वा. नं. 2/डी, सड़क नं. 11, सेक्टर 1, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	ललित कुमार गुहे पिता-स्व. एम. आर. गुहे निवासी-क्वा. नं. 2/डी, सड़क नं. 11, सेक्टर 1, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. संयुक्ता जैन पत्नि डॉ. साकेत कुमार जैन, उम्र 27 वर्ष निवासी-मो. दर्रीपारा नगर थाना व तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मुझे संयुक्ता राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा मेरे अंकसूची, वोटर आई.डी. आदि दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 18-2-2013 को डॉ. साकेत कुमार जैन के साथ हिन्दू परम्परा अनुसार सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर डॉ. संयुक्ता जैन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे डॉ. संयुक्ता जैन पत्नि डॉ. साकेत कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. संयुक्ता राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्री-श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल निवासी-नगर थाना कोतवाली महल जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)	श्रीमती संयुक्ता जैन पत्नि-डॉ. साकेत कुमार जैन निवासी-मो. दर्रीपारा, थाना व [illegible]. अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.[illegible]

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामबिशाल साहू पिता श्री केशो राम, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 117-ए, रिसाली सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं दसवीं की प्रमाण पत्र में मेरा नाम रामबिशाल दर्ज है जबकि मेरे पेन कार्ड नं. ए. डब्ल्यू. एच. पी. एस. 9443 ए में मेरा नाम रामबिशाल साहू दर्ज है. मेरे अपने नाम के साथ उपनाम 'साहू' जोड़कर अपना नया नाम रामबिशाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामबिशाल साहू पिता श्री केशोराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रामबिशाल पिता-श्री केशो राम निवासी-क्वा. नं. 117-ए, रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	रामबिशाल साहू पिता-श्री केशो राम निवासी-क्वा. नं. 117-ए, रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गौरीशंकर शोरी आत्मज स्व. विद्यासागर शोरी, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 15/एफ, सड़क नं. 9, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम गौरीशंकर शोरी दर्ज है जबकि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के दस्तावेजों एवं अभिलेखों में मेरा नाम गौरीशंकर दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम 'शोरी' जोड़कर अपना नया नाम गौरीशंकर शोरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गौरीशंकर शोरी पिता स्व. विद्यासागर शोरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
गौरीशंकर (Gauri Shankar) आत्मज-स्व. विद्यासागर शोरी निवासी -क्वा. नं. 15/एफ, सड़क नं. 9, सेक्टर 4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	गौरीशंकर शोरी (Gauri Shankar Shori) आत्मज-स्व. विद्यासागर शोरी निवासी -क्वा. नं. 15/एफ, सड़क नं. 9, सेक्टर 4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 18th July 2014

"CORRIGENDUM"

G.B.-IV paper(1)/2014-15/486.—In reference to tender notice No. G.B.-IV paper(1)(2013-14)/2014-15/1112 Raipur dated 28-06-2014 of this department it is being informed to all concerned that some amendments have been done in the tender form. For details pl.go through it and it can be also downloaded from www.cg.gov.in.

Last date of submission of tender is being extended from 30-07-2014 to 07-08-2014.

Following corrections are being made in the tender notice No. G.B.-IV paper(1) (2013-14)/2014-15/1112 Raipur dated 28-06-2014 of this department, which was published in the various news papers and internet etc.

1- In page No. 7, sr. 4 of the tender form the tenderer should submit 20 sheets of A4 size sample paper of each item, duly teste and signed by the scientist (name, post and seal) Govt. laboratory mentioned in the tender form. It should not be three months old.

2. The tenderer must enclose the confirmatory declaration certificate given as below :—
It is here by confirmed, declared and certified that only virgin pulp is used in the samples supplied by us and bind ourselves that if order is placed on us, we shall supply paper as per sample and as virgin pulp/ wood/bamboo only. We shall be liable to penalty to compensate any losses and refusal to accept the goods, in case of breach of or deviation of this undertaking.

3. In page 10-sr. 31 (note) (II) is being rectified as below.
The paper shall consist of 100% virgin pulp (Wood/Bamboo/Bagasse/Agrowaste etc.) and shall be free from unbleached pulp. Paper made from the waste paper or paper cutting is not acceptable. The tenderer will have to confirm in the tender form that the offered paper is of virgin pulp.

Recyacle paper will not be accepeted. Last date of submission of tenders is on 07-08-2014.

All the tenderers are informed to fulfill the above conditions otherwise the tender will be rejected.

Sd/-
(CHANDRAKANT UIKEY)
Director
Printing & Stationary Indravati Bhawan,
Block-1, Second Floor, New Raipur, Chhattisgarh

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2014

अंतर्गत छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/793.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1056/दिनांक 5-8-2006 के तहत् ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. श्रवण देवरी, प.क्र. 2578 दिनांक 29-05-59 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के तहत श्री आर.डी. कुल्हारा अंकेक्षण अधिकारी, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/ 2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. श्रवण देवरी पं. क्र. 2578 दिनांक 29-05-59 विकास खण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.